

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

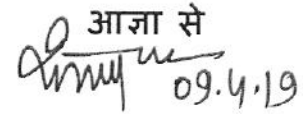
आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / ८५४ /2018 दिनांक : ०९.०४.२०१९

श्री रमाकान्त शर्मा (RJ0275), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, २०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- २००५, टोंक को दिनांक २५.०३.२०१९ से २९.०३.२०१९ तक ०५ दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक २०.०३.२०१९ से २४.०३.२०१९ के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री शर्मा की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, २०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- २००५, टोंक के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से
 ०९.४.१९

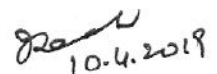
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(४)/१०९/१९९६/३५९६

दिनांक : १०.०४.२०१९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

१. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
२. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, २०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- २००५, टोंक को उनके पत्रांक १६ दिनांक ३०.०३.२०१९ के सन्दर्भ में ।
३. श्री रमाकान्त शर्मा (RJ0275), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, २०१२ तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- २००५, टोंक ।
४. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक ।

 १०.४.२०१९

सहायक रजिस्ट्रार